दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 01/10/2019 की कार्यसूची

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 हरिशरण	प्रतिकुलपति/अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 अवधेश तिवारी	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	डॉ0 संतराम वर्मा	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	प्रो0 डी0एन0 यादव	वरिष्ठ आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग	सदस्य
9	प्रो0 आनन्द सेन गुप्ता	वरिष्ठ आचार्य, वाणिज्य विभाग	सदस्य
10	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	कोआप्टेड सदस्य
11	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	कोआप्टेड सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची–

1. (क) डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ के छात्र श्री अरूण कुमार गिरी पुत्र श्री सूर्य नाथ गिरी के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1983, अनुक्रमांक 29228, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1984, अनुक्रमांक 132472 के परीक्षाफल के सम्बन्ध में याचिका संख्या WRIT-A No-20674 of 2016 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 31/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन का अंश निम्नवत है–

"Having due regard to the peculiar facts and circumstances of the case, it was not open for the University to have cancelled the mark sheet and degree of the petitioner in such a casual manner and that too after 30 years, it is admitted that the original records were weeded out after two years of the B.Sc. Examination, the only record available is the tabulation register of the students, which is in the custody of the University Officials. Petitioner came to be appointed assistant teacher in 1992 and his credentials, including, educational certificates must have been verified by the fifth respondent, before approving the appointment of the petitioner. The writ petition deserves to be allowed. Order accordingly.

The impugned order dated 23 January 2013, passed by the fifth respondent, District Inspector of Schools, Azamgarh, and order dated 13 April 2016 passed by the second respondent, Examination Controller, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Gorakhpur, is set aside and quashed. Petitioner is entitled to continue in service. Since petitioner has been made victim of a false and malicious complaint and kept out of employment for no fault of his own, he is entitled to entire arrears of salary. Salary to be released by the competent authority within two months from the date of receipt of certified copy of this order, failing which petitioner would be entitled to 7% interest on the entire sum from the due date"

माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के क्रम में माननीय कुलपति जी के अनुमति से अनुपालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के स्थानीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गयी, विधिक राय में पूरे प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को परीक्षा समिति में रखकर निर्णय लेने हेतु अभिमत दिया गया, तद्क्रम में विचार।

निर्णय–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ के छात्र श्री अरूण कुमार गिरी पुत्र श्री सूर्य नाथ गिरी के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1983, अनुक्रमांक 29228, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1984, अनुक्रमांक 132472 के परीक्षाफल के सम्बन्ध में याचिका संख्या WRIT-A No-20674 of 2016 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 31/07/2019 को पारित आदेश का अनुपालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक कक्षाओं के कतिपय छात्रों का परीक्षाफल राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन की परीक्षा में उत्तीर्णांक न प्राप्त करने के फलस्वरूप WRG (राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन की परीक्षा में असफल) में रूका है। इस सम्बन्ध में सत्यम कुमार उपाध्याय, बी0काम0, केन्द्र–बी0आर0डी0 बी0डी0 पी0जी0 कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया, ने माननीय कुलपति को सम्बोधित करते हुए प्रत्यावेदन दिया है कि, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसर प्रदान किया जाय, तद्क्रम में विचार।

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से विस्तृत विचारोपरान्त छात्रहित के दृष्टिगत स्नातक पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र/छात्राओं को जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, परन्तु उनका परीक्षाफल मात्र राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण रूका है, को राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन विषय में उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए एक और विशेष अवसर प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा वर्ष–2020 के साथ परीक्षा कराने का निर्णय लेते हुए इस प्रकरण को विद्यापरिषद के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ सन्दर्भित किया।

(ग) राम नयन अनुक्रमांक–58499, बी0एड0 वर्ष–2007, शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय, सिधुवापार, बड़हलगंज, गोरखपुर ने प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवदेन के माध्यम से अवगत कराया है कि मेरे अंकतालिका में मेरे नाम राम नयन के स्थान पर राम नरायन अंकित है, जबकि मेरा सही नाम राम नयन है। साक्ष्य के रूप में बी0एड0 वर्ष–2007 में विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेशपत्र की छायाप्रति, हाई स्कूल अंकपत्र की छायाप्रति तथा शपथपत्र संलग्न किया है। सारणीयन पंजिका में छात्र के नाम राम नरायन के स्थान पर राम नयन नाम संशोधन करने पर विचार–

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि राम नयन अनुक्रमांक–58499, बी0एड0 वर्ष–2007, शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय, सिधुवापार, बड़हलगंज, गोरखपुर की अंकतालिका में नाम राम नरायन के स्थान पर, सही नाम राम नयन संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।

(घ) कु0 अर्चना मिश्रा, बी0एड0 भाग एक वर्ष–2016, अनुक्रमांक–1611571270002, तथा बी0एड0 भाग दो वर्ष–2017, अनुक्रमांक–1711721570002, केन्द्र–रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती भाटपार, देवरिया ने प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि अंकतालिका में मेरा नाम KM ARCHANA MISHRA के स्थान पर ARCHANA MISHRA अंकित है, तथा मेरे पिता का नाम BRISHBHAL MISHRA की जगह पति का नाम UPENDRA MISHRA अंकित हो गया है, जबकि अंकतालिका में मेरा नाम KM ARCHANA MISHRA तथा पिता का नाम BRISHBHAL MISHRA अंकित होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में छात्रा ने आधार कार्ड की छायाप्रति, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा शपथपत्र संलग्न किया है। सारणीयन पंजिका में छात्रा का नाम KM ARCHANA MISHRA अंकित करने तथा पति के नाम UPENDRA MISHRA के स्थान पर पिता का नाम BRISHBHAL MISHRA संशोधन कर अंकित करने पर विचार–

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि कु0 अर्चना मिश्रा, बी0एड0 भाग एक वर्ष–2016, अनुक्रमांक–1611571270002, तथा बी0एड0 भाग दो वर्ष–2017, अनुक्रमांक–1711721570002, केन्द्र–रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती भाटपार, देवरिया की सारणीयन पंजिका में छात्रा का नाम ARCHANA MISHRA के स्थान पर KM ARCHANA MISHRA तथा पति के नाम UPENDRA MISHRA की जगत पिता का नाम BRISHBHAL MISHRA संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।

(ड.) छात्र उत्कर्ष पाण्डेय पुत्र श्री विनोद पाण्डेय द्वारा बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष–2019, अनुक्रमांक–1910077390011 की रसायन शास्त्र एवं भौतिक विज्ञान विषय की प्रायोगिक मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को आर0टी0आई0 के तहत देने की मांग की गई है, तदक्रम में उक्त विषय की प्रायोगिक मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को आर0टी0आई0 के तहत देने पर विचार।

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्रायोगिक परीक्षा सैद्धान्तिक परीक्षा से इतर एक अलग प्रकार की परीक्षा होती है, जिसमें प्रयोगात्मक प्रक्रिया, क्षेत्र कार्य, विधियाँ (Methods) आदि सम्मिलित होती हैं, जिसका समग्र मूल्यांकन केवल उत्तरपुस्तिका में लिखे शाब्दिक उत्तर से नहीं होता है। इस कारण आर0टी0आई0 में प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका देना उचित नहीं है।

अतः समिति ने यह निर्णय लिया कि किसी भी प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका आर0टी0आई0 में न प्रदान किया जाय।

(च.) प्रभारी, अभिलेख कक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में स्वर्णपदक उन्हीं छात्र/छात्राओं को दिया जाता है जिन्होंने प्रथम प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो एवं भूतपूर्व/बैकपेपर/अंकसुधार की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो। स्वर्ण पदक दिए जाने की यही व्यवस्था/परम्परा रही है। तद्क्रम में विचार–

निर्णयः– समिति ने विस्तृत रूप से समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व की भांति विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में स्वर्णपदक उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रदान किया जाय, जिन्होंने प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों। यदि कोई छात्र/छात्रा भूतपूर्व/बैकपेपर/अंकसुधार की परीक्षा में किसी भी भाग की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो वह छात्र स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।'

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति